न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 31 / 2017

1–लल्लू पुत्र मौहरसिह
2–जगदीश। पुत्रान भिक्कन
3–रमसो ।
जाति गूजर निवसी ईशापुर कटारा तहसील नदबई

....अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार नदबई

.....रेस्पो0

अपील खिलाफ तहसीलदार नदबई आदेश दिनांक 14.8.2017 मुकदमा संख्या 17 / 2017 उनवानी पटवारी हल्का कटारा बनाम लल्लू

———

उपस्थित :–
1–श्री हनुमान प्रसाद गोयल,अभिभाषक अपीलान्ट
2–राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

आदेश दिनांक 11.12.2017

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–8–2017 में अपीलान्ट अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 488 रकवा 0.04 गे.मु. चाह ग्रांम ईशापुर तहसील नदबई से बेदखल करने, सिविल कारावास एवं पैनल्टी कायम के आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार नदबई के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. एवं तहत पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक की ओर से लिखित बहस पेश की गई, जो शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन टीला था जो गैर मुमकिन चाह की परिधि में नही आता है। उनका यह भी कथन है कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। तहत न्यायालय ने विधि विरुद्व आदेश पारित किया गया है। पाश्चतवर्ती अतिक्रमी मानने के लिये कोई साक्ष्य नहीं लिये गये हैं, पूर्व बेदखली बाबत घटनाबही नहीं ली गई है। तहसीलदार द्वारा सारी कार्यवाही तीसरे व्यक्ति

.....2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के कहने पर की गई है। उनका यह भी तर्क है अपीलान्ट ने वरिष्ठ सिविल न्यायालय नदबई के यहॉ तहसीलदार नदबई के खिलाफ एक वाद दायर कर रखा है और जब मामला सिविल न्यायालय में रेससबज्यूडियस हो तो तहत न्यायालय को कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिये। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने फार्म न.3 के साथ फोटो प्रति अदालत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई के आदेशिका दिनांक 12.9.2017 पेश करते हुये बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण स्टे किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा न.488 के रकवा 00.04 ऐयर गैर मुमकिन चाह है जिस पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया हुआ है। तहसीलदार नदबई ने नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाते हुये दिनांक 14.6.17 को नोटिस दिया है जिसका जबाब अपीलार्थी ने तहत न्यायालय में पेश किया है, अतिक्रमी ने अपने जबाब में अतिक्रमण को बरसात के बाद हटा लेने का उल्लेख किया है। पटवारी हल्का ने अपने बयान भी दर्ज कराये हैं, तथा घटना बही की नकल भी पेश की है। राजकीय अभिभाषक ने यह उल्लेख किया कि अपीलार्थी द्वारा पेश आदेश दिनांक 12.9.2017 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई में स्पष्ट है कि बिना विधिक प्रकिया के अपनाये बेदखल न करने लिये पाबन्द किया गया है। तहसीलदार नदबई ने विधिक प्रकिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील मनगढन्त आधारों पर पेश की गई है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली शामिल पत्रादि से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय में अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उन्होने अपना अतिक्रमण विटोरा ईधन टाटरे वगे. हटाने के लिये कहा है। पटवारी हल्का के बयान में भी विवादित आराजी खसरा 488 गै मु. चाही में अतिक्रमीयों सम्वत् 2013 में भी अतिक्रमण करने की एवं दिनांक 14.3.17 को बेदखल करने की बात स्वीकार की है। तहत पत्रावली में उपलब्ध सत्य प्रतिलिपि घटना बही दिनांक 6.4.17 में हो रहे इन्द्राज से जाहिर है कि अपीलान्ट अतिक्रमीयों द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में भी किये **अतिक्रमण से बेदखल किया गया है। घटना बही में अतिक्रमण लल्लू जगदीश वगे. हो रहे अंगूठा निशानी हस्ताक्षर से जाहिर है कि उन्हें अतिक्रमण से मौके पर बेदखल किया गया है। अपीलान्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर तहत न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट को पाश्चतवर्ती अतिक्रमी मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 14. 8.2017 को पारित किया गया है।**

.....3

माननीय अदालत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई के आदेशिका दिनांक 12–9–2017 का है। माननीय अदालत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई के आदेशिका दिनांक 12–9–2017 के अतिंम पैरा में अंकित किया है कि :–

"……उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी पक्ष बिना विधिक प्रकिया अपनाये प्रार्थीगण को उनके विवादित भूखण्ड से बेदखल नहीं करे……।"

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नदबई ने विधिक प्रकिया अनुसार कार्यवाही हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस तहसीलदार नदबई को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official